

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 10.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह
वित्त सदस्य, दिविप्रा
2. श्री शैलेंद्र शर्मा
अभियंता सदस्य, दिविप्रा
3. श्री कामरन रिजवी
अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड
5. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक
6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री दिलीप कुमार पाण्डे, विधायक
8. श्री ओ पी शर्मा, विधायक
9. श्री योगेश कुमार वर्मा
निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी. सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दिविप्रा

विशेष आमंत्रितगण

1. श्रीमती रेनु शर्मा
अपर मुख्य सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी
2. श्री मनीष कुमार गुप्ता
सदस्य (प्रशासन एवं भूमि प्रबंधन), दिविप्रा
3. डॉ राजीव कुमार तिवारी
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भूदृश्य, आवास एवं उद्यान), दिविप्रा
4. श्री ज्ञानेश भारती
आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम
5. डॉ. दिलराज कौर
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उप राज्यपाल सचिवालय

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला
उप राज्यपाल की सचिव
2. श्रीमती चंचल यादव
उप राज्यपाल की विशेष सचिव
3. श्रीमती रुचिका कत्याल
उप राज्यपाल की संयुक्त सचिव
4. श्री अनूप ठाकुर
उप राज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 32/2020

दिनांक 14.07.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

एफ.2(4)2020/एमसी/डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण दिनांक 14.07.2020 को आयोजित की बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

मद सं. 33/2020

दिनांक 14.07.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(4)2020/एमसी/डीडीए/पार्ट

प्राधिकरण के सदस्यों ने दिनांक 14.07.2020 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की:-

श्री सोमनाथ भारती

- i. उन्हें दिल्ली सरकार के पत्र के बारे में सूचित नहीं किया गया था कि दि.वि.प्रा. द्वारा कालुसराय/बेगमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु एक स्थान आबंटित किया गया है।
- ii. उन्होंने पूछा कि क्या गुलमोहर पार्क में सामुदायिक कक्ष के निर्माण के लिए एमएलएएलएडी स्कीम से निधि जुटाने की आवश्यकता होगी।
- iii. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सामुदायिक भवन के रखरखाव के लिए पॉलिसी तैयारी कर ली गई है।
- iv. डीयर पार्क, रोज गार्डन, गुलमोहर पार्क और हौज खास जिला पार्क में स्थित झील का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हुआ है। रोज गार्डन में नाले से अत्यधिक दुर्गंध आती है। इन पार्कों में आवारे कुत्तों से खतरा है। डीयर पार्क में एक रेस्तरां को आंशिक रूप से ढहाया गया है और उस स्थान से मलबा हटाया नहीं गया है। पार्कों के उचित रखरखाव हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जानी चाहिए। प्रधान आयुक्त (उद्यान) द्वारा इन पार्कों का एक संयुक्त दौरा निर्धारित किया जाए।
- v. कुम्हार बस्ती में सामुदायिक केंद्र हेतु पहुंच मार्ग के मामले का समाधान किया जाए।
- vi. अदचिनी में बारात घर के पहुंच मार्ग तक हुए अतिक्रमण को हटाया जाए।

- vii. की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह गलती से उल्लेख किया गया है कि डीएवी मैनेजमेंट सोसाइटी आबंटित स्थल पर पढ़ा की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए एडेड स्कूल के बजाय एक निजी स्कूल चला रही है।
- viii. दि.वि.प्रा. स्थगन आदेश को हटाने में तेजी लाए और बेगमपुर के खसरा सं. 110 में अनधिकृत निर्माण को ढहाएगा।

श्री ओ पी शर्मा

- i. विश्वास नगर में 60 फीट वाले मार्गाधिकार पर अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के संबंध में लगातार मामले को उठाए जाने के बावजूद, मामले का समाधान अभी तक नहीं किया गया है।
- ii. शांति स्वरूप भटनागर मार्ग पर जे जे क्लस्टर्स का सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
- iii. प्रीत विहार क्लब और ग्रेट गेट्सबाई क्लब को भूमि के अनधिकृत आबंटन के मामले का समाधान अभी तक नहीं किया गया है।
- iv. अगर बदरपुर ट्रेडर यूनियन को पट्टे पर भूमि आबंटन गलत ढंग से किया गया था, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री दिलीप कुमार पाण्डेय

- i. की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) व्यापक हो एवं उसमें समयसीमा दी गई होनी चाहिए।

मद सं. 34/2020

गीता कॉलोनी में रह-रहें लोगों द्वारा प्लॉटों पर किए गए अनाधिकृत कब्जे के नियमितिकरण हेतु भूमि की दरों का निर्धारण।

फाइल एस.2(21)86/ओएसबी

यह निर्णय लिया गया कि मामले का पुनर्परीक्षण किया जाएगा और प्राधिकरण के समक्ष एक विस्तृत एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा।

मद सं. 35/2020

दि.वि.प्रा. (विकसित नजूल भूमि के निपटान) नियम, 1981 में संशोधन हेतु समेकित प्रस्ताव।

फाइल एलडी/जीएच/0003/2020/एफ-1/मिस.-गुप

एजेडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 56 के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद सं. 36/2020

चर्च रोड स्थित डीटीसी के समीप, केंद्रीय सचिवालय बस टर्मिनल, नई दिल्ली के समीप स्थित 15 एकड़ परिमाण वाले प्लॉट सं. 1 के भूमि उपयोग को 'परिवहन' (बस टर्मिनल/पार्किंग) और 'सरकारी' (प्रेसीडेंट एस्टेट एवं संसद भवन) से 'आवासीय' में प्रस्तावित बदलाव।

एफ.20(12)2019/एमपी

एजेडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित की जाए।

मद सं. 37/2020

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में अध्याय 12.0 परिवहन में मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों/टर्मिनलों हेतु विकास नियंत्रण में टेबल 12.7 के अंतर्गत संशोधन।

फाइल21(2)2017-एमपी/पार्ट I

एजेडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण ने मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों/टर्मिनलों हेतु विकास नियंत्रण के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 के टेबल 12.7 की टिप्पणियों के पैरा 3 (i), (vii), (viii), (ix) और (x) में 'मेट्रो' शब्द के पहले 'आर आर टी एस' शब्द जोड़ने की अनुमति दी। जबकि, संक्षिप्तता हेतु, पैरा 3 में शैल 'Shall' शब्द के पहले और स्ट्रक्चर 'Structure' शब्द के बाद 'आर आर टी एस/एम आर टी एस' शब्द जोड़ा गया है।

प्रस्तावित सुधारों/संशोधनों को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

“मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों/टर्मिनलों हेतु विकास नियंत्रण:”

3. आरआरटीएस/एमआरटीएस के संबंध में निम्नलिखित स्ट्रक्चर को कार्यात्मक स्ट्रक्चर के रूप में माना जाएगा।

- i. ग्रेड, इलेक्ट्रिक और भूमिगत, जिसमें प्रवेश स्ट्रक्चर, डी जी सेटों को लगाने हेतु अनुषंगी भवन, शीतलन संयंत्र और विद्युत सब स्टेशन, आपूर्ति निःशेष और टनल वेंटलेशन शाफ्ट इत्यादि शामिल हैं, को रिपोर्ट करने वाले सभी स्टेशन और ट्रेक।
 - ii. डिपो और मरम्मत (अनुरक्षण) वर्कशॉप।
 - iii. ट्रेक्शन सब स्टेशन।
 - iv. प्रचालन नियंत्रण केंद्र।
 - v. पुलिस स्टेशन।
 - vi. प्रचालन एवं रख-रखाव स्टाफ हेतु भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र।
 - vii. केवल प्रचालन स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास।
 - viii. परियोजना निर्माण हेतु किया जाने वाला पुनर्वास कार्य।
 - ix. सार्वजनिक सुविधाओं को पूरा करने हेतु स्टेशनों में दुकानें।
 - x. स्टेशनों के फुट प्रिंट के ऊपर प्लेटफार्म पर संरचना।
- आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-11ए के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद सं. 38/2020

स्टेट भवनों/स्टेट गेस्ट हाउसों के लिए पार्किंग में छूट।

एफ.20(09)/2015/एम.पी.

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियां/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-11ए के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद सं. 39/2020

योजना जोन-जे में आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एण्ड बाइलियरी साइंसिज (आई एल बी एस) हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार हेतु 5.76 एकड़ (2.33 हेक्टेयर) भूमि के भूमि उपयोग का आवासीय से सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (पी एस-1) में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.20(2)2005/एमपी

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद सं. 40/2020

पॉकेट ए, इंडीग्रेटिड फ्रंट कम्प्लैक्स, गाजीपुर में स्थित 8094 वर्ग मी. क्षेत्रफल के भूमि उपयोग को एस डी एम सी का वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए भूमि आबंटित करने हेतु कमर्शियल से 'उपयोगिता' में परिवर्तन।

एफ 3 (01)96/डायरेक्टर(एस पी)/पार्ट-III/पार्ट फाइल

भूमि का आबंटन एस डी एस सी, जिसे एजेंडा मद में गलती से शामिल की गया है, को ना करके ई.डी.एम.सी. को किया जाए। एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

मद सं. 41/2020

सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में सी आई एस एफ के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) को आबंटित 0.66 एकड़ भूमि के भूमि उपयोग को पार्ट कैमर्शियल (लोकल शॉपिंग सेंटर) और पार्ट "मनोरंजनात्मक (नेबर प्ले एरिया/ग्रीन स्पेस)" से सरकारी (सरकारी कार्यालय) में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ 20(04)2019/एम.पी.

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद सं. 42/2020

स्लम एवं जे जे क्लस्टरों के पुनर्विकास हेतु विनियम एवं दिशानिर्देशों के संबंध में दि.मु.यो.-2021 के अध्याय 4.0 के पैरा 4.2.3.4 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.3(36)1996/एम.पी./पार्ट-I

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11 क के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाए।

मद सं. 43/2020

प्रीफेरेंशियल लोकेशन/फ्लोर चार्जिज- पर आधारित आबंटन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी

एफ 1/0030/2020/कोर्ड/हाउसिंग (कोर्डिनेशन)

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 44 (2020)

वर्ष 2020-21 के लिए दुरुपयोग प्रभारों की गणना के उद्देश्यों हेतु भूमि दरों का निर्धारण
एफ 2 (14) 96-97/एओ(पी)/पार्ट-II

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण के माननीय सदस्यों, द्वारा उठाए गए "अन्य मुद्दे"

श्री विजेन्द्र गुप्ता

- i. स्लम एवं जे जे क्लस्टरों के पुनर्विकास कार्य में तेजी लाई जाए और निविदा प्रक्रिया की अनुसूची से अवगत कराया जाए।
- ii. दि.वि.प्रा. हरित क्षेत्रों के रखरखाव हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एस टी पी) की संस्थापना की स्थिति।
- iii. दि.वि.प्रा. परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया जाए एवं समय सीमा उपलब्ध करवाई जाए।
- iv. समाज-सदनों को उचित रूप से चलाने के लिए नीति बनाई जाए।
- v. लीज्ड प्लॉटों के फ्री-होल्ड कन्वर्जन हेतु उन्मुक्त (एमनेस्टी) स्कीम लांच की जाए।

श्री सोमनाथ भारती

- i. कठपुतली कॉलोनी के स्वस्थाने पुनर्विकास में तेजी लाई जाए और इसकी समय-सीमा उपलब्ध करवाई जाए।
- ii. बदरपुर ट्रेडर यूनियन को आबंटित भूमि के पट्टा निर्धारण से संबंधित मामले को हल किया जाए।
- iii. उनके निर्वाचन क्षेत्र में दोनों यानि वाल्मिकी बस्ती और इंदिरा कैंप को स्लम एवं जे जे क्लस्टर पुनर्विकास योजना में पुनर्विकास हेतु शामिल किया जाए।
- iv. विकासपुरी में अनधिकृत अतिक्रमण से छुड़ाई गई भूमि का उपयोग एक अस्पताल के निर्माण के लिए किया जाए।
- v. अर्जुन नगर में स्थित 2.84 एकड़ भूमि का उपयोग बहुस्तरीय पार्किंग के लिए किया जाए।
- vi. गौतम नगर में 4 एकड़ भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है।
- vii. अधचिनी में एक चौपाल के विकास हेतु प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए तकनीकी समिति।

- viii. रोहिणी आवासीय योजना के लिए वॉर वीडो श्रेणी में जिस विधवा ने गलती से आवेदन कर दिया था उन्हें न तो आवेदन की फीस लौटाई गई और न ही प्लॉट दिया गया।

श्री ओ.पी.शर्मा

- i. दि.वि.प्रा. को रामलीला के लिए ग्राउंड बुकिंग हेतु दरों को बढ़ाने पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- ii. ग्राउंड फ्लोर आबंटितियों से बहु मंजिला फ्लैटों में लिफ्ट प्रभार न वसूला जाए।
- iii. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विवाह समारोह के लिए पहले से ही डीडीए ग्राउंड बुक कर लिया है लेकिन दिविप्रा ने निलामी के माध्यम से इन प्लॉटों की सूची बना ली है, उन्हें विवाह समारोह आयोजन करने की अनुमति दी जाए।
- iv. पहले दि.वि.प्रा. न्यू संजय वन कॉलोनी हेतु हस्तांतरण विलेख का निष्पादन कर रहा था। तथापि, अब यह सूचित किया गया है कि यह सरकारी भूमि नहीं है। कृपया इस परिवर्तन का कारण बताया जाए।
- v. दि.वि.प्रा. ने मधु विहार में एक अनधिकृत स्कूल जिसका निर्माण मार्गाधिकार पर हुआ था, के निर्माण को गिराने के बाद भूमि को वापिस प्राप्त किया है। इस भूमि भूमि का एक भाग पी.डब्ल्यू.डी. को रोड़ चौड़ा करने के लिए दिया गया था। शेष भूमि, जो एक पार्क के विकास हेतु थी, को ईडीएमसी को दिया गया। तथापि, इसका उपयोग पार्किंग के लिए किया जा रहा है। चूंकि, पार्किंग से इस क्षेत्र में व्यर्थ हो परेशानी होती है, अतः इस पर पार्क विकसित किया जाए।

श्री योगेश कुमार वर्मा

- i. रामलीला हेतु ग्राउंड बुकिंग प्रभारों में वृद्धि न की जाए।
- ii. दि.वि.प्रा. सामाजिक-धार्मिक प्लॉटों के लिए लीज की राशि के भुगतान न करने हेतु नोटिस जारी कर रहा है। लम्बित शेष की वसूली हेतु एक एमनेस्टी स्कीम पर विचार किया जाए।
- iii. पार्किंग मानकों में छूट हेतु नगर निगम के लम्बित प्रस्तावों पर विचार किया जाए।
माननीय उपराज्यपाल ने सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ हुआ।